संख्या-71/2021/4084/96-आयुष-2-2021-11(बी)/2019

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2

लखनऊः दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल प्रयागराज में निर्माणाधीन महिला छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/पी/18-19/टी0सी0-1/3253, दिनांक 06-12-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-14/2019/668/96-आयुष-2-2019-11(बी)/2019, दिनांक 08-03-2019 द्वारा राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, प्रयागराज में महिला छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु रू0 219.29 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 76.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या-2/2021/06/96-आयुष-2-2021-11(बी)/2019, दिनांक 21-01-2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 43.86 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34 लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-09-राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कालेज और अस्पताल-24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 87.72 लाख (रू0 सत्तासी लाख बहत्तर हजार मात्र) को अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

1. ऑगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की है।
2. ऑगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इण्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु ही प्रयोग किया जाये।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय।
4. प्रयोजना अंतर्गत कार्यमदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यॉकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियॉ सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/स्थापना का कार्य किया जायेगा।
6. परियोजनाओं में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आयुष कालेज के प्रधानाचार्य एवं संबंधित निदेशक का होगा।
7. परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई/सम्बन्धित आयुष कालेज के प्रधानाचार्य एवं निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुडस) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0 टेण्डर/ई0 प्रोक्योरमेंट/गर्वनमेन्ट, ई0मार्केट प्लस (जेम पोर्टल) से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आयुष कालेज के प्रधानाचार्य एवं अन्य जिला स्तर की प्रायोजनाओं में संबंधित निदेशक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।